<u>प्रतिवेद्य</u>

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय

सिविल अपीलीय अधिकारिता

<u>सिविल अपील संख्या 3587/2019</u>

(विशेष अवकाश याचिका (दीवानी) सं. 3490/2019 से उद्भूत)

शैलेंद्र कुमार जैन एवं अन्य ...अपीलार्थीगण

बनाम

माया प्रकाश जैन एवं अन्य ...प्रत्यर्थीगण

<u>निर्णय</u>

<u>न्यायमूर्ति, उदय उमेश ललित</u>

1. अवकाश अनुदत्त।

2. यह अपील दीवानी पुनरीक्षण संख्या 156/2016 इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 19. 07. 2018 के निर्णय की औचित्य को चुनौती देती है।

3. विनय प्रकाश जैन ने उप-न्यायाधीश, प्रथम श्रेणी, दिल्ली न्यायलय में वाद संख्या 92/ 1966 (संक्षेप में '1966 वाद') दायर किया, जिसमें घोषणा की गई कि उनके पिता अम्बा प्रसाद, उनकी मां श्रीमती देवी जैन और तीन भाइयों के बीच विभाजन के बाद कुछ संपत्तियां उनके हिस्से में आ गईं, जिनमें से सभी को प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के रूप में रखा गया था। वाद में श्रीमती श्रीकांत जैन सहित चार बहनों को भी प्रतिवादी सं. 6 से 9 के रूप में रखा गया था।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

4. विचारण न्यायालय द्वारा 23. 02. 1966 सन् 1966 के मुकदमे में एक आदेश पारित किया गया था, जिसमें पक्षकारों के बीच समझौता किया गया था, जिसके लिए मुकदमा आज्ञप्ति कर दिया गया था। आदेश का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार था:

> 'वादी ने प्रार्थना की है कि एक घोषणा की जाए कि वह वाद (गैरकानूनी) की वादी में संपत्तियों का मालिक है। वादी और प्रतिवादी सं. 1 से 5 के बीच (गैरकानूनी) में उक्त संपत्तियां उसके हिस्से में आ गई थीं। प्रतिवादियों ने आज अपने अधिवक्ता श्री विजय किशन के माध्यम से वादी के दावे को स्वीकार करते हुए लिखित बयान दायर किया। प्रतिवादियों के अधिवक्ता ने न्यायालय में एक बयान भी दिया है कि आज्ञप्ति के लिए प्रार्थना के रूप में पारित किया जाना चाहिए।
>
> परिणामत:, मैं इस आशय की घोषणा के लिए एक आज्ञप्ति पारित करता हूं कि वादी मालिक है और वादी के पैरा संख्या 11 के खंड (ए) में उल्लिखित संपत्तियों के कब्जे में है। पक्ष मुकदमे की अपनी लागत वहन करते हैं।
>
> सुनाया गया। ”

5. प्रतिवादी संख्या 5 सन् 1966 के वाद यानी माया प्रकाश में उसके बाद दीवानी जज (सीनियर डिवीजन), मेरठ न्यायालय में मुकदमा संख्या 464 /2006 दायर किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रस्तुत किया गया कि

उद्घोषणा

”क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

उपरोक्त आज्ञप्ति दिनांक 23. 02. 1966 के बाद घर और अन्य संयुक्त संपत्तियों के विभाजन के संबंध में 05. 11. 2005 को अंबा प्रसाद जैन के सभी बेटों के बीच में एक और पारिवारिक समझौता हुआ। कहा जाता है कि यह समझौता श्रीमती चंद्रकांता जैन, श्री डी.पी. जैन, श्रीमती पद्मकांत जैन और श्री अखिलेश जैन की उपस्थिति में आया था। यह दावा किया गया था कि पक्षकार उक्त निपटान दिनांक 05. 11. 2005 से बंधे थे और इसके बाद कहा गया कि माया प्रकाश जैन 2006 के उक्त अभियोग में अनुसूची में उल्लिखित कुछ संपत्तियों के अनन्य मालिक थे।

6. 1966 के वाद में मूल प्रतिवादी संख्या 8 द्वारा यानी श्रीकांत जैन एक आवेदन प्रदर्श 92 क को अधिमानित किया गया था, जो 2006 के पूर्वोक्त वाद संख्या 464 में प्रतिवादियों में से एक के रूप में अपने निहितार्थ की मांग कर रहा था। यह तर्क दिया गया था कि उसके माता-पिता यानी अम्बा प्रसाद जैन और श्रीमती देवी जैन की मृत्यु के बाद, आवेदक उस संपत्ति का हकदार था जिसे माता-पिता द्वारा पीछे छोड़ दिया गया था और आवेदक एक आवश्यक पक्ष है जिसे उसे एक वाद संख्या 464 /2006 में प्रतिवादी के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आवेदन की लंबन के दौरान, श्रीमती श्रीकांत जैन की मृत्यु हो गई और अपीलकर्ताओं, यानी उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को उनके स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया।

7. आवेदन को विचारण न्यायालय ने दिनांक 10. 03. 2016 के आदेश को खारिज कर दिया था। यह देखा गया कि आवेदक श्रीमती श्रीकांत जैन को 1966 वाद का ज्ञान था, लेकिन उनके माता-पिता और भाइयों के बीच मौखिक पारिवारिक विभाजन के आधार पर पारित आज्ञप्ति के खिलाफ अपील करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया था और इस तरह के आवेदन को खारिज करने की आवश्यकता थी।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

8. अपीलकर्ता व्यथित होने के कारण, उच्च न्यायालय में 2016 के दीवानी रिवीजन संख्या 156 को प्राथमिकता दी गई थी, जिसे उच्च न्यायालय ने 19. 07. 2018 दिनांकित आदेश को रद्द कर दिया था। इसे निम्नानुसार देखा गया:

> "चूंकि, जैसा कि ऊपर उल्लिखित किया गया है, यह मुकदमा जहां इस संशोधन से मूल रूप से उद्भूत होता है, 1966 के वाद संख्या 92 में पहले के आज्ञप्ति के कार्यान्वयन का प्रयास करता है, जिसने उनके बीच एक कथित मौखिक विभाजन की स्वीकृति पर, पक्षकारों के शेयरों को निर्धारित किया था, और चूंकि वाद के लिए पक्ष केवल वे हैं जिनके शेयरों को अलग किया जाना है, अधीनस्थ न्यायलय ने इम्पिलिडेड आवेदन को खारिज करने में कोई अवैधता नहीं की है, यह पाते हुए कि कार्यवाही में संशोधनवादी आवश्यक पक्ष नहीं हैं।"

9. हमने अपीलार्थीगण के अधिवक्ता श्री डी.के. गर्ग और प्रत्यर्थीगण के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जितेन्द्र मोहन शर्मा को सुना।

10. हालिया मुकदमा एक बेटे ने अपने माता-पिता, तीन भाइयों और चार बहनों के खिलाफ दायर किया था। वादी, माता-पिता और तीन भाइयों के बीच समझौता करने के संदर्भ में, संपत्तियों को पारस्परिक रूप से छह व्यक्तियों के बीच विभाजित किया गया था। चूंकि अंबा प्रसाद जैन और श्रीमती देवी जैन जीवित थे, इसलिए संयुक्त परिवार की संपत्ति के विभाजन की राहत के लिए एक कार्रवाई में उचित पक्ष, हिंदू कानून के तत्कालीन प्रचलित सिद्धांतों से जा रहे थे, केवल पति, पत्नी और उनके बेटे थे। परिवार में बेटियां, अर्थात्, प्रतिवादी सं. 6 से 9 तक, अधिकार के रूप में, संयुक्त परिवार की संपत्तियों का विभाजन होने पर किसी भी हिस्से का दावा नहीं कर सकती थीं। हालांकि, यह अच्छी तरह से तय किया गया है[देखें: लक्ष्मी चंद खजुरिया एवं अन्य बनाम इश्रो देवी-(1977) 2 एससीसी 501 पैरा 14] कि अगर उसके पति और

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

बेटों के बीच एक विभाजन होता है, तो एक पत्नी एक बेटे के बराबर हिस्सा प्राप्त करने के लिए (दक्षिण भारत को छोड़कर) हकदार है और अपने पति [मुल्ला पर हिंदू कानून- द्वितीय संस्करण पृष्ठ 496] से भी अलग से उस हिस्से का आनंद लेती है। इसलिए, यदि वादी और प्रतिवादी सं. 1 से 5 के बीच समझौता किया गया था, तो इसके बारे में कुछ भी अनुचित नहीं था। परिस्थितियों में, 1966 वाद में आज्ञप्ति के लिए किसी भी चुनौती का अभाव अप्रासंगिक था। तथ्य की बात के रूप में, आवेदक श्रीकांत जैन 1966 के वाद में आज्ञप्ति को चुनौती नहीं दे सकते थे।

11. पिता और माता की मृत्यु पर, यदि उनकी मृत्यु हो जाती है, तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के सिद्धांतों के तहत, बेटियों सहित प्रत्येक वर्ग I वारिस, अपने माता-पिता द्वारा पीछे छोड़ी गई संपत्ति में हिस्सेदारी का हकदार होगा। यह ठीक इसी गिनती पर है कि आवेदक श्रीकांत जैन का दावा है कि वे उन संपत्तियों में हिस्सा पाने के हकदार हैं जिन्हें अंबा प्रसाद जैन और श्रीमती देवी जैन को आवंटित किया गया था। 1966 के वाद में आज्ञप्ति करने के लिए विभाजन का असर हुआ, किसी भी तरह से, उसे अपने पिता और मां की संपत्तियों में हिस्सेदारी का दावा करने से रोक नहीं सकता है। पूर्वोक्त परिसर में, श्रीकांत जैन निश्चित रूप से माया प्रकाश जैन द्वारा दायर किए गए बाद के मुकदमे में निहित होने के लिए एक आवश्यक और उचित पक्ष थी।

12. हालाँकि, प्रतिवादी संख्या 1 के उपस्थित वरिष्ठ विद्वत अधिवक्ता श्री जितेन्द्र मोहन शर्मा द्वारा प्रतिवाद किया गया था, कि पिता और माता, अर्थात्, अंबा प्रसाद जैन और श्रीमती देवी जैन ने विल्स को पीछे छोड़ दिया था, जिसके तहत उनकी संपत्ति विकसित हुई थी बेटों विशेष रूप से वसीयत नामा का उचित निष्पादन अभी तक प्रत्यर्थी द्वारा साबित नहीं हुआ है। यदि वसीयत नामा साबित नहीं होते हैं, तो बेटियां वर्ग-I वारिस होने के नाते, संपत्तियों में हिस्सेदारी की हकदार होंगी। इसलिए, बेटियों को कार्यवाही के लिए आवश्यक पक्ष हैं। वर्तमान

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

मामले में, यदि वसीयत नामा प्रस्तावित साबित हो जाते हैं, तो वे उत्तराधिकार के सामान्य तरीके एवं बेटियों के पूर्वाग्रह के अलावा उत्तराधिकार के अलग पथ प्रदर्शित करेंगे। इस तरह की कार्रवाई या व्यवहार में, वर्ग I वारिस होने वाली बेटियां आवश्यक एवं उचित पक्ष हैं और उन्हें प्रत्यारोपित करने की आवश्यकता है।

13. इस प्रकार, मामले को किसी भी दृष्टिकोण से देखते हुए, आवेदक श्रीकांत जैन एक आवश्यक और उचित पक्ष थी। मुकदमे में प्रतिवादियों में से एक के रूप में प्रत्यारोपित किए जाने वाले उसके आवेदन को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत तरीके से खारिज कर दिया गया था। इसलिए, हम इस अपील की अनुमति देते हैं, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त करते हैं, और 2006 के वाद संख्या 464 में आवेदक श्रीकांत जैन द्वारा दर्ज किए गए आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के तहत दायर आवेदन प्रदर्श 92 क को अनुमति देते हैं। कोई लागत नहीं।

.....न्यायामूर्ति
(उदय उमेश ललित)

.....न्यायमूर्ति
(इंदु मल्होत्रा)

नई दिल्ली;
09 अप्रैल 2019

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।